Website:- www.dipronline.org **email:- projjn@rediffmail.com,**

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

धुलण्डी के दिन नवलगढ़ में कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी

झुंझुनू, 25 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने धुलण्डी (एक मार्च) को नवलगढ़ में धुलण्डी के जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस एवं वहां के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने नवलगढ़ के उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक को जुलूस के दौरान मौके पर उपस्थित रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्देशित किया है।

उन्होंने कहा है कि पूर्व के वर्षो में इस संबंध में दर्ज प्रकरणों में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक कार्रवाही की जाये और जुलूस के दौरान जुलूस के मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाये। जुलूस के सही संचालन के लिए भी जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका मोड़ (परसरामपुरिया हवेली के पास) जुलूस मार्ग पर बेरिकेटिंग लगाया जाकर असामाजिक तत्वों की तालाशी ली जाये और जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा रंग, गुलाल व बोतल आदि का प्रयोग नहीं किया जावें। जुलूस मार्ग में मरकज मस्जिद वाले स्थान पर जुलूस में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वीडियोग्राफी करवायी जाये और मस्जिद की दीवारों को रंग आदि से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त शामियाने व कनात लगाये जाये। यह व्यवस्था पुलिस प्रशासन एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट की देखरेख में वहां की नगर पालिका द्वारा की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे जुलूस के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में पहले से हेलमेट, ढाल व हैण्ड माईक आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि समय पर इनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने धुलण्डी के जुलूस वाले मार्ग की साफ सफाई करने व रास्ते में कही पड़े पत्थर इत्यादि को भी हटवाने के निर्देश दिये है। जिला आबकारी अधिकारी को कहा गया है कि वे नवलगढ़ कस्बे व उसके आस-पास के गांवों में धुलण्डी के रोज शराब की एक भी दुकान खुली नहीं रखे और ना ही शराब की बिक्री होने दे।

विधायक कोटे से सात कार्यों के लिए पौने सात लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 25 फरवरी: विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मण्डावा व पिलानी के विधायकों के कोटे से सात निर्माण कार्यो के लिए 6 लाख 71 हजार रूपये स्वीकृत किये गये है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि मण्डावा विधायक सुश्री रीटा चौधरी के विधायक कोटे से 6 कार्यो के लिए 5 लाख 71 हजार रूपये और पिलानी विधायक सुन्दरलाल के कोटे से एक कार्य के लिए एक लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

उन्होंने बताया कि मण्डावा विधायक के कोटे से सिरियासर कलां पंचायत की हुडा की ढाणी में पानी निकासी के लिए नाली निर्माण के लिए 50 हजार रूपये, सोनासर पंचायत की हीरा की ढाणी के रा.प्रा.विद्यालय के खेल मैदान की चार दीवारी निर्माण, लूणा में सीमेण्ट बनाने, टमकोर में कब्रिस्तान की चार दीवारी बनाने के लिए एक-एक लाख रूपये और हंसासर पंचायत के रिजाणी गांव के रा.माध्यमिक विद्यालय की चार दीवारी के लिए एक लाख 85 हजार रूपये व लादूसर पंचायत के चैनपुरा गांव में पाईप लाइन डालने के लिए 29 हजार रूपये स्वीकृत मंजूर किये गये है। पिलानी विधायक सुन्दरलाल के कोटे से खुडानियां गांव के उप स्वास्थ्य केन्द्र की चार दीवारी के लिए एक लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।